



न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

1. प्रा0 पत्र सं0 50/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970
सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मुरारीलाल पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी काबलेश्वर

.....अप्रार्थी

2. प्रा0 पत्र सं0 52/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970
सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मुरारीलाल पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी काबलेश्वर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थित-1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 04.03.2026

1. संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.6.2000 को ग्राम काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैथल के आ0ख0नं0 02 रकबा 0.50 है. व खसरा नंबर 01 व 5 कुल किता 2 रकबा 0.29 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी मुरारी लाल पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी काबलेश्वर को कर दिया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।
2. उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की विषयवस्तु व तथ्य एक समान होने से दोनों प्रार्थना पत्रों का संयुक्त रूप से निर्णय किया जा रहा है।
3. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
- 4- राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मु0 काबलेश्वर द्वारा अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी काबलेश्वर के पिता रामकिशोर पुत्र घासी को ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 0.13 है. एवं खसरा नंबर 5 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 रकबा 0.29 है0 तथा उसी दिन अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र राकिशोर को ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 02 रकबा 0.50 है. भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण 60 दिनांक 20.7.2001 एवं नामान्तरण सं0 64 दिनांक 20.7.2001 को गैर खातेदारी दर्ज हुआ किंतु आवंटनी

जिला कलेक्टर, दौसा




द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर भूमि उपयोग में नहीं ली है। आवंटी/गैर खातेदार ने आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर अधिकार में नहीं ले रखी है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन का प्रयोजन निष्फल हो रहा है। उक्त तिथि को ही आवंटी की पत्नि मनभरी पत्नि मुरारीलाल जाति ब्राह्मण को भी इसी खसरा नंबर में से 0.50 है। भूमि आवंटित हुई है। भूमि खसरा नंबर 1/1 मिन साबिक से बना है, सीलिंग सरप्लस भूमि है जो पूर्व में दिनांक 28.6.1976 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन हो चुकी है। सीलिंग प्रीमियम बकाया होने से अमल नहीं किया जाना प्रतीत होता है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफाकार्यवाही अमल में लाई गई।

- 5- हमने हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैप काबलेश्वर द्वारा अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी काबलेश्वर के पिता रामकिशोर पुत्र घासी को ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 0.13 है। एवं खसरा नंबर 5 रकबा 0.16 है 0 कुल किता 2 रकबा 0.29 है 0 तथा उसी दिन अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र राकिशोर को ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 02 रकबा 0.50 है। भूमि का आवंटन किया गया। उक्त तिथि को ही आवंटी की पत्नि मनभरी पत्नि मुरारीलाल जाति ब्राह्मण को भी इसी खसरा नंबर अर्थात् खसरा नंबर 02 में से 0.50 है। भूमि आवंटित हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 व संवत 2060 से 2063 में भूमि पडत पडी हुई है। आवंटी द्वारा भूमि पर काश्त नहीं की जाकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.6.2000 को अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.6.2000 को अप्रार्थी मुरारीलाल के पिता रामकिशोर पुत्र घासी के नाम ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 0.13 है। एवं खसरा नंबर 5 रकबा 0.16 है 0 कुल किता 2 रकबा 0.29 है 0 तथा अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र राकिशोर को ग्राम काबलेश्वर स्थित आराजी खसरा नंबर 02 रकबा 0.50 है। भूमि का आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय प्रा० पत्र 14(4) सं० 50/2010 में रखा जावे एवं निर्णय की प्रति प्रा० पत्र 14(4) सं० 52/2010 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



DC
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा